उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

रिट याचिका संख्या–2899 वर्ष 2018

प्रकाश चन्द्र हरबोला

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य व अन्य

..... प्रत्यर्थी

उपस्थित अधिवक्तागण।
याचिकाकर्ता की ओर से : श्री भागवत मेहरा व श्री के.के.हरबोला
प्रतिउत्तरदाता 1 से 3 की ओर से : श्री पी0सी0 बिष्ट
प्रतिउत्तरदाता 4 व 5 की ओर से : श्री गोपाल वर्मा

निर्णय

माननीय रविन्द्र मैठानी, न्यायाधीश

तत्काल रिट याचिका से दिनांक 08.01.2018 और दिनांक 22.01.2018 के दो आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को उसकी नियुक्ति की तारीख से सेवा के लाभों से वंचित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता दिनांक 01.07. 2019 से सभी सेवा लाभों का दावा करता है। दिनांक 01.06.1990 जब उन्होंने सचिव, अधिसूचित क्षेत्र समिति, चमोली का कार्यभार संभाला।

याचिकाकर्ता का मामला है कि उसे शुरू में 01.03.1982 को द्वाराहाट नगर पालिका में क्लर्क के रूप में दिनांक 31.07.1986 तक नियुक्त किया गया था। इसके बाद उनकी सेवाएं जब्त कर ली गई क्योंकि सरकार ने कोई पद स्वीकृत नहीं किया था, इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य में विभिनन नगर पालिकाओं में कुछ पद सृजित किए गए। याचिकाकर्ता द्वारा की गई पूर्व सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, उसे आयु लाभ दिया गया और दिनांक 04.05.1987 को अधिसूचित क्षेत्र समिति कर्णप्रयाग में क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया। उनहोंने उस क्षमता में काम करना जारी रखा। दिनांक 01.06.1990 को तत्कालीन सचिव, नगर पालिका कर्णप्रयाग का स्थानांतरण किसी अन्य जिले में कर दिया गया। अतः याचिकाकर्ता को नगर पालिका कर्णप्रयाग के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 01.06.1990 को सचिव का कार्यभार सोंप दिया गया। इसके बाद वर्ष 1991 में कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार की गई, जिसमें याचिकाकर्ता शीर्ष पर था। दिनांक 25.11.1991 को जिलाधिकारी ने विज्ञापन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को याचिककर्ता की सचिव पद पर अस्थायी नियुक्त हेतु एक प्रस्ताव भेजा। राज्य सरकार ने दिनांक 12.12.1991 को एक संचार द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, इतना ही

नहीं, याचिकाकर्ता को वेतन के भुगतान के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट के एक प्रश्न पर, जिसके लिए वह हकदार हो सकता है, राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को सचिव का वेतन दिया जाएगा। याचिकाकर्ता ने उस क्षमता में काम किया। वर्ष 2006 में याची में मूल पद पर वापस कर दिया गया। लेकिन उस सरकार आदेश को उनके द्वारा रिट याचिका में सफलतापूर्वक चुनौती दी गई थी। उन्हें फिर से कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका के रूप में तैनात किया गया और दिनांक 31.01.2015 को सेवानिवृत्त कर दिया गया।

3. याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि उसकी सेवाओं की पुष्टि प्रतिवादी द्वारा दिनांक 04.03.2016 को कार्यकारी अधिकारी के पद पर की गई थी। लेकिन, याचिकाकर्ता की सेवाएं कन्फर्म करने वाले आदेश में यह खुलासा नहीं किया गया कि किस तारीख से उसे कन्फर्म माना जाएगा। इसी प्रकार स्थित अन्य 11 व्यक्तियों की पुष्टि उत्तरदाताओं द्वारा दिनांक 26.05.2016 को की गई थी और उनकी पुष्टि उनकी तदर्थ/अस्थायी नियुक्ति की प्रारम्भिक तिथि से की गई है। याचिकाकर्ता इससे व्यथित है। उनके मुताबिक वे 11 कार्यकारी अधिकारी भी उसी सूची में थे, जिसमें उनका नाम पहले शामिल किया गया था। उन्हें तदर्थ अस्थायी के रूपम ें उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति से स्थायीकरण दिया गया था, जबकि याचिकर्ता को अस्वीकार कर दिया गया है।

4. याचिकाकर्ता ने इस दावे के लिए 2017 की रिट याचिका संख्या–3715 (संक्षेप में पहली याचिका) दायर की, कि उसकी पुष्टि कार्यकारी अधिकारी के रूप में उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख से प्रभावी की जा सकती है। दिनांक 01.06.1990 को पहली याचिका पर 02.01.2018 को निर्णय लिया गया और न्यायालय ने निर्दो दिया कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लिया जाए। दिनांक 08.01.2018 के आक्षेपित आदेश द्वारा सरकार के अतिरिक्त सचिव ने याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्ण के लिए मामले को निदेशन के पास भेजा और यह भी देखा कि याचिकाकर्ता प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख से सेवा लाभ का हकदार नहीं है और आक्षेपित आदेश दिनांकित 22.01.2018 के अनुसार याचिककर्ता द्वारा दिया गया अभ्यावेदन खारिज कर दिया गया।

5. प्रतिवादी संख्या–1 व 3, उत्तरखण्ड राज्य ने अपने जवाबदावे में कहा है कि याचिकाकर्ता को सेवा में रहते हुए स्थायी नहीं किया गया था। जब स्थायीकरण का आदेश जारी हुआ तो वह सेवानिवृत्त हो चुके थे। याचिकाकता द्वारा रिट याचिका में जिन अन्य 11 व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, उन्हें सेवा में रहते हुए स्थायी कर दिया गया था।

6. प्रतिवादी संख्या–2 ने अपने जवाबदावे में दावा किया है कि उसे बिना किसी कारण के रिट याचिका में पार्टी बनाया गया है, इसलिए, याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या–2 से कोई राहत पाने का हकदार नहीं है।

7. इसके बाद याचिकाकर्ता ने जवाबदावे भी दाखिल किया है तथा प्रतिवादी संख्या–1 व 3 द्वारा पूरक जवाबदावा दाखिल किया गया है।

8. उभयपक्षों के अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के साथ बिना किसी कारण के भेदभाव किया गया है। याचिककर्ता को दिनांक 01.06.1990 को अध्य क्ष, नगर पालिका कर्णप्रयाग के सचिव का कार्यभार सौंपा गया। नियुक्ति को बाद में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और वास्तव में, राज्य सरकार ने निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता को सचिव का वेतन दिया जाए। वह वर्ष 2015 में सेवानिव्ततत होने तक उस पद पर कार्यरत थे। कार्यकारी अधिकारियों की वरिष्ठता सूची (रिट याचिका के निए अनुलग्नक संख्या–13) का संदर्भ दिया गया हैं इसके आधार पर याचिकाकर्ता के वकील का तर्क होगा कि सभी 11 अन्य व्यक्ति, जिन्हें तदर्थ/अस्थायी रूप से उनकी प्रारम्भिक नियुक्तियों के प्रभाव से सेवा में पुष्टि की गई है, उसी सूची में शामिल हैं।

10. यह परिशिष्ठ क्रमांक 13 वरिष्ठता सूची है, जो विभाग के निदेशक द्वारा 19.06. 2006 को तैयार की गई थी। इसमें क्रम संख्या–8 से आगे तदर्थ कार्यपालक पदाधिकारियों को दर्शाया गया हैं याचिकाकर्ता का नाम सूची में सबसे नीचे क्रमांक 27 पर हे। 11 अन्य कार्यकारी अधिकारी, जिनकी सेवाओं की पुष्टि दिनांक 26.05.2016 को एक आदेश द्वारा की गई थी, को भी उसी वरिष्ठता सूची में शामिल किया गया है। यह सच है कि वे सूची में उपर हैं, लेकिन उन्हें तदर्थ कर्मचारी के रूप में भी दिखाया गया है। अन्य 11 कार्यकारी अधिकारियों की पुष्टि करने वाला आदेश रिट याचिका का अनुबंध संख्या–20 है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उनहें किसी तिथि से स्थायी किया गया है। रिट याचिका का परिशिष्ठ क्रमांक 19 दिनांक 04.03.2016 का आदेश है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाओं की पुष्टि की गई है, परन्तु दिनांक 04.03.2016 के इस आदेश में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि याचिककर्ता को किस दिनांक से सेवामुक्त किया गया है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने एक अन्य कार्यकारी अधिकारी, ओम प्रकाश अग्रवाल का भी संदर्भ दिया है, जिनका नाम भी वरिष्ठता सूची (रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या–30) में क्रम संख्या–8 पर उल्लिखित है। माना जाता है कि उनकी

मृत्यु के बाद उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख से सेवा में उनकी पुष्टि की गई थी। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यदि ओम प्रकाश अग्रवाल की मृत्यु के बाद उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख से पुष्टि की गई थी तो याचिकाकर्ता के मामले को कैसे अलग किया जा सकता है। याचिकाकर्ता को 11 अन्य व्यक्तियों की तरह पुष्टि की जानी चाहिए थी, जिन्हें उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख से पुष्टि की गई थी या ओम प्रकाश अग्रवाल की तरह, जिन्हें सचिव के रूप में उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख से पुष्टि की गई थी।

12. दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता वर्ष 2015 में सेवानिवृत्त हो गया था। जब वह सेवा में था, उस दौरान उसकी सेवाओं की कभी भी पुष्टि नहीं की गई। वर्ष 2016 में उनकी पुष्टि की गई थी और वरिष्ठता सूची में, जिसका उल्लेख याचिकाकर्ता द्वारा किया जा रहा है, वह सबसे नीचे है।

13. दरअसल, एक बार इस मामले पर पहले ही बहस हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन फिर 16.03.2021 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः–

> ''इस रिट याचिका में दलीलें पहले ही सुनी जा चुकी है और मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रखा गया था, लेकिन फैसला सुनाने से पहले, न्यायालय का विचार है कि प्रतिवादी राज्य को कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता हो सकती है। याचिकाकर्ता के अनुसार समान स्थिति वाले व्यक्ति ओम प्रकाश अग्रवाल को वही राहत दी गई है, जो याचिकाकर्ता मामले में मांग रहा है। रिट याचिका के पैरा संख्या–33 में याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया है। अपने जवाबदावे दिनांक 30.10.2018 में प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 तक ने कुछ भी नहीं कहा है।
>
> ओम प्रकाश अग्रवाल को भी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित कर दिया गया था, जबकि रिट याचिका के अनुबंध संख्या 33 से पता चलता है कि चूंकि याचिकाकर्ता को नियम 31 के तहत नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें अनुबंध संख्या–33 के पैराग्राफ 3 के अनुसार नियुक्त किया गया था, इसलिए उनके मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है। अवशोषण के लिए यह अनुबंध क्रमांक 33 के पैरा क्रमांक 3 और 4 में बताया गया है। भेद इस आधार पर किया गया है कि याचिकाकर्ता को संबंधित नियमों के नियम 31 के तहत नियुक्त नहीं किया गया था। राज्य को निम्नलिखित स्पष्ट करने देः–
>
> i. किस नियम के तहत, याचिकाकर्ता को कभी भी कार्यकारी अधिकारी

के रूप में नियुक्त किया गया था या उसकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई थी ?

ii. याचिकाकर्ता और ओम प्रकाश अग्रवाल के बीच क्या अंतर है ? राज्य आज से एक सप्ताह के भीतर उपरोक्त दोनों बिंदुओं पर हलफनामा दाखिल करेगा। उसके बाद अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।''

14. इसके अनुपालन में राज्य की ओर से पूरक जवाबदावे दायर किया गया है, लेकिन, पहले सवाल का कोई जवाब नहीं है कि किस नियम के तहत याचिकाकर्ता को कभी कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति किया गया उसकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई ? पूरक जवाबदावे में ओम प्रकाश अग्रवाल के संबंध में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति नियम 31 के तहत की गई थी। यह प्रश्न अनुत्तरित है, यहां तक कि जब यह प्रश्न राज्य के विद्वान वकील के समक्ष रखा गया था, तब भी उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं था।

15. राज्य ने याचिकाकर्ता को उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख से तदर्थ/अस्थायी के रूप में सेवा लाभ देने से इस आधार पर इन्कार कर दिया है कि उसकी पुष्टि उसकी सेवानिवृत्ति के बाद की गई थी। लेकिन यह, सवाल यह है कि उनका स्थायीकरण सेवानिवृत्ति के बाद क्यों किया गया और अन्य 11 समान स्थिति वाले व्यक्तियों का स्थायीकरण उनकी सेवा के दौरान क्यों किया गया ? यदि यह राज्य का कार्य है, तो क्या राज्य यह चुन सकता है कि पुष्टिकरण आदेश किस तारीख को पारित किया जाए ? क्या राज्य किसी के सेवानिवृत्त होने की प्रतीक्षा कर सकता है और फिर ऐसे कर्मचारियों को उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख से सेवा लाभों से वंचित करते हुए पुष्टिकरण आदेश पारित कर सकता है, इस आधार पर कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद राज्य द्वारा की गई थी ? यह संभवतः उसके लाभों को अस्वीकार करने का उचित वर्गीकरण नहीं हो सकता है।

16. आक्षेपित आदेश दिनांक 22.01.2018 द्वारा याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि अन्य 11 कार्यकारी अधिकारी, जिन्हें आदेश दिनांक 26.05.2016 द्वारा उनकी ज्वाइनिंग की प्रारम्भिक तिथि से पुष्टि की गई थी, उन्हें नियम 31 के तहत नियुक्त किया गया था। उत्तर प्रदेश नगर क्षेत्र एवं अधिसूचित क्षेत्र समिति (केंद्रीकृत) सेवा नियमावली 1976 संक्षे में '1976 नियम'', जबकि याचिकाकर्ता को दिनांक 22.01.2018 के आक्षेपित आदेश के पैरा–3 में वर्णित प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किया गया था। लेकिन दिनांक 22.01.2018 के आक्षेपित आदेश में यह नहीं दर्शाया गया है कि याचिककर्ता को किस नियम के तहत नियुक्त किया गया था ? यह मौन है और जैसा कि कहा गया है कि जब इस न्यायालय ने 16.03.2021

को राज्य से यह बताने के लिए कहा कि याचिकाकर्ता को किस नियम के तहत नियुक्त किया गया था, जवाबदावे में जो न्यायालय के प्रश्न दिनांक 16.03.2021 के जवाब में दायर किया गया है, कुछ नहीं बताया गया है।

17. इससे पहले की न्यायालय आगे बढ़े, यह देखना उचित होगा कि 1976 के नियमों का नियम 31 क्या कहता है। यह इस प्रकार हैः—

> 31. अस्थायी व्यवस्थाएं अध्यक्ष, नगर क्षेत्र समिति या अध्यक्ष अधिसूचित क्षेत्र समिति, जैसा भी मामला हो, छः सप्ताह की अवधि के लिए केद्रीकृत सेवाओं में पदों के लिए अस्थायी स्थानापन्न व्यवस्था करेगा, जिसके बाद राज्य सरकारइन पदों के संबंध में स्थानापन्न व्यवस्था करेगी।

18. इस नियम को पढ़ने से पता चलता है कि टाउन एरिया कमेटी के अध्यक्ष या अधिसूचित क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, एक स्टॉपगैप व्यवस्था के रूप में छः सप्ताह की अवधि के लिए अस्थायी स्थानापन्न व्यवस्था कर सकते हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था कर सकती है।

19. वास्तव में, याचिकाकर्ता का मामला पूरी तरह से नियम 31 के अन्तर्गत आता है। दिनांक 01.06.1990 को उन्हें सचिव टाउन एरिया कमेटी का प्रभार तत्कालीन अध्य क्ष द्वारा दिया गया था। बाद में, जिला मजिस्ट्रेट चमोली ने अपने पत्र दिनांक 25.11. 1991 द्वारा याचिकाकर्ता की सचिव पद पर अस्थायी/तदर्थ नियुक्ति के अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा। राज्य सरकार ने दिनांक 12.12.1991 को मंजूदी दे दी (रिट याचिका का अनुबंध संख्या—9) बात यही नहीं रूकी, ऐसा प्रतीत होता है कि जिला मजिस्ट्रेट याचिकाकर्ता के वेतन के संबंध में चमोली ने फिर से राज्य सरकार से पत्राचार किया और राजय सरकार ने अपने पत्र दिनांक 26.12.1991 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, चमोली को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता अगले आदेश तक तदर्थ कार्यवाहन सचिव के रूप में काम करता रहेगा और वह सचिव के वेतन का भुगतान किया जाएगा। (रिट याचिका का अनुबंध संख्या—10)। 1976 के नियमों के नियम 31 के तहत यही आवश्यक है। दरअसल, याचिकाकर्ता की नियुक्ति भी 1976 की नियमावली के नियम 31 के तहत हुई थी। आक्षेपित आदेश दिनांक 22.01.2018 के पैरा 4 में यह गलत दर्ज है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 1976 नियमावली के नियम 31 के तहत नहीं की गई थी। इसलिए, याचिकाकर्ता को सचिव, टाउन एरिया कमेटी, कर्णप्रयाग के पद पर उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति की तिथि से सेवा लाभों से वंचित करना किसी भी तर्क पर आधारित नहीं है।

20. सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का मानना है कि रिट याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

21. रिट याचिका स्वीकार की जाती। प्रतिवादी क्रमांक 1 और 3 द्वारा क्रमशः जारी दिनांक 08.01.2018 और 22.01.2018 के आक्षेपित आदेश को इसके द्वारा रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता दिनांक 01.06.1990 से प्रभावी चयन ग्रेड, पदोन्नति वेतनमान और एसीपी के लाभ सहित सभी सेवा लाभों का हकदार होगा।

(रविन्द्र मैठानी, न्यायाधीश)
दिनांक 23.09.2021